न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 30 / 2017

अपीलान्ट्स

1. श्रीमति लहरी देवी पुत्री कालूराम, जाति घाची, निवासी–ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जोधपुर। हाल निवासी– पत्नी स्व. कानाराम घांची, जाटावास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमति टिपू देवी पुत्रत्र कालूराम, जाति घांची, निवासी– ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। हाल निवासी– ग्राम देबाबास, जिला जालोर।
3. श्रीमति तुलछा देवी पुत्री कालूराम, जाति घांची, निवासी– ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जोधपुर। हाल निवासी– पत्नी कानारामजी, रेलवे स्टेशन, समदड़ी, बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी

2. भंवराराम पुत्र कालूराम के कायममुकाम

2 / 1. हेमाराम पुत्र स्व. भंवराराम

2 / 2. बाबूलाल पुत्र स्व. भंवराराम

2 / 3. नारायणराम पुत्र स्व. भंवराराम

2 / 4. दाखु पुत्री स्व. भंवराराम

2 / 5. श्रीमति मेथी पत्नी स्व. भंवराराम।

2 / 6. ओमाराम पुत्र स्व. भंवराराम के कायममुकाम

2 / 6 / 1. दिनेश पुत्र स्व. ओमाराम

2 / 6 / 2. अशोक पुत्र स्व. ओमाराम

2 / 6 / 3. गुडिया पुत्री स्व. ओमाराम

2 / 6 / 4. इन्द्रा पुत्री स्व. ओमाराम

2 / 6 / 5. प्रर्मिला पुत्री स्व. ओमाराम

2 / 6 / 6. श्रीमति धापु पत्नी स्व. ओमाराम

3. जेठाराम पुत्र कालूराम घांची के कायममुकाम

3 / 1. जीवाराम पुत्र स्व. जेठाराम

3 / 2. गोपाराम पुत्र स्व. जेठाराम

3/3. मेथी देवी पत्नी स्व. जेठाराम

3/4. रेशमी पुत्री स्व. जेठाराम

3/5. चम्पा पुत्री स्व. जेठाराम

4. पताराम पुत्र कालूराम

5. मोहनराम पुत्र कालूराम के कायममुकाम

5/1. गौतम पुत्र स्व. मोहनराम

5/2. रमेश पुत्र स्व. मोहनराम

5/3. मंजु पुत्री स्व. मोहनराम

5/4. संगीता पुत्री स्व. मोहनराम

5/5. सुमित्रा पुत्री स्व. मोहनराम

5/6. श्रीमति आयचुकी पत्नी स्व. मोहनराम

सभी जातियान– घांची, निवासीगण– ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व नामान्तरण प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तरण स्वीकृति आदेश दिनांक 11.06.1992 जो अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1026 के संबंध में पारित किया गया।

– – –

<u>उपस्थिति :</u>

1. अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक श्री पवन रांकावत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3, 2/5, 5/1, 5/2, 5/4 से 5/6 की ओर से अभिभाषक श्री अमरसिंह चौधरी उपस्थित।

–: <u>आदेश</u> :– **दिनांक** :– 21.08.2018

यह अपील अपीलान्टगण के अभिभाषक ने राजस्व नामान्तरण प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तरण स्वीकृति आदेश दिनांक 11.06.1992 जो अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1026 के संबंध में पारित किया गया को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की सहखातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम झंवर (बडनगर) पटवार हल्का झंवर तहसील लूणी के खेत खसरा नं0 427 रकबा 13 बीघा, खसरा नं0 491 रकबा 70 बीघा, खसरा नं0 490 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन ढाणी आई हुई है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता कालूराम पुत्र राणाराम घाची के हक व हिस्से में

आई हुई है। अपीलार्थीगण की माता श्रीमती केसीदेवी व पिता कालूराम का देहान्त क्रमशः 05.02.2006 व 13.02.1992 मुकाम झंवर में हो गया। स्वर्गीय कालूराम के चार पुत्र व पत्नी केसीदेवी व तीन लड़किया इनके वारिसान् है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 भी स्वर्गीय कालूराम प्रथम श्रेणी के वारिसान् है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रत्येक अपीलान्ट का 1/7–1/7 हक हिस्सा बनता है। जिससे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलान्टगण को वंचित नहीं किया जा सकता लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीगण अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3, 2/5, 5/1, 5/2, 5/4 से 5/6 की ओर से अभिभाषक श्री अमरसिंह चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पवन राकांवत ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 11.06.1992 को गलत गैर कानूनी रूप से स्वीकृत करवा दिया जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से शून्य है। उन्होनें यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 5 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के माफिक अपीलान्टगण को विधिवत् नोटिस/सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जो कानूनन जरूरी था। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी ने स्वर्गीय कालूराम के वारिसान् बाबत् किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की।

अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 एवं उसमें वर्णित अनुसूची प्रथम अनुसार अपीलान्टगण स्वर्गीय श्री कालूराम की उपरोक्त कृषि भूमि से अलग नहीं किया जा सकता तो भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स 5 ने अन्य रेस्पोडेन्ट के साथ मिलकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलान्टगण को अपने हक व हिस्से से वंचित कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थिया ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 11.06.1992 को पारित किया की जानकारी अपीलान्ट संख्या 1 किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु सरकारी बैक में वर्तमान जमाबन्दी की नकल मांगी गई। जिस पर अपीलान्ट ने अपने भतीजे के साथ वर्तमान जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का

झंवर से सम्पर्क किया तो बताया कि अपीलान्ट का नाम नहीं होने के कारण जमाबन्दी देने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी होने पर म्यूटेशन संख्या 1026 दिनांक 11.06.1992 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपने अधिवक्ता से मिले। मेरे अधिवक्ता की सासुजी का दिनांक 16.09.2017 को देहान्त हो जाने के कारण अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थिया ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में रहती है व अनपढ़ होने के कारण उसे कानूनी जानकारी नहीं है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 / 3, 2 / 5, 5 / 1, 5 / 2, 5 / 4 से 5 / 6 की ओर से अभिभाषक श्री अमरसिंह चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि स्वर्गीय रणीया वल्द भूता कौम घाची के वारिसान् कालूराम पुत्र व मूली पुत्री थी। स्वर्गीय रणीया के देहान्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड में कालूराम का नाम दर्ज किया गया जबकि कालूराम व श्रीमती मूली दोनों बहन—भाई है। मूलीदेवी के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में सुखाराम पुत्र जगाराम पुत्र, जुंझाराम पुत्र गैरीदेवी व पानीदेवी पुत्री होने से उनका भी नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होना चाहिए था लेकिन भूलवंश से रह गया। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट श्री लहरीदेवी 70 वर्ष की आयु में यह अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की है और अपील मीमो से साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण बताये गये है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मिक स्थिति यह है कि अपीलार्थिया ने यह अपील ग्राम झंवर तहसील लूणी के नामान्तरकरण संख्या 1026 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थिया की अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलार्थियागण के स्वर्गीय पिता कालूराम पुत्र राणाराम कौम घाची के नाम ग्राम झंवर के खसरा नं0 426, 491 व 490 कुल रकबा 83.02 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलार्थिया के पिता स्वर्गीय कालूराम का देहान्त हो जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण भंवराराम, जेठाराम, पताराम, मोहनराम पुत्र कालूराम, केशी बेवा कालूराम के नाम ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया था जबकि अपीलार्थिया श्रीमती लहरीदेवी, श्रीमती टीपूदेवी, श्रीमती तुलसादेवी भी स्वर्गीय कालूराम की प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में होना बताया है लेकिन अपीलाधीन आदेश में इनका नाम दर्ज नहीं

किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थियागण मृतक कालूराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है को इनका भी नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में होना चाहिए। मृतक के सभी उत्तराधिकारियों को बिना सुने नामान्तरकरण पारित किया गया है जो ऐसा आदेश शून्य है। ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। मियाद का प्रश्न आड़े नहीं आता है।

—ःआदेशः—

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित ग्राम झंवर के नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 11.06.1992 का एतद् निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्वर्गीय कालूराम पुत्र राणाराम घाची के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सिरे से पूर्ण करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर।